Beggar Homes for providing vocational and technical education for the re-habilitation of beggars. There are 12 Beggar Homes in the National Capital Territory of Delhi.

**स्वायत्तशासी निकायों और संगठनों में आरक्षण**

7292. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कम्पनियों को सरकार के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी अनुदानों पर चलने वाले संगठनों में अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंकाबालू)** : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान**

7293. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कल्याण मंत्री 18 मार्च 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3564 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं जहां पर अब तक पिछड़े वर्गों का पता नहीं लगाया गया है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिये हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंकाबालू)** : (क) भारत सरकार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ, जिन्होंने अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान उन्हें सूचित नहीं किया है लिखा पढ़ी कर रही है कि व अन्य पिछड़े वर्गों की शीघ्र पहचान/अधिसूचित करें ।

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि सांवैधानिक दायित्वों की पूर्ति में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है ।

**अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा इत्यादि की छूट**

7294. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु-सीमा, आवेदन शुल्क और अर्क-पात्रता छूट देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंकाबालू)** : (क) तथा (ख) यह मामला परीक्षणधीन है ।

**Complaints with National Commission for Minorities**

7295. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received by the National Commission for Minorities against discrimination of minorities, against violation of safeguards to minorities in the Constitution and against non-im-plemetation of the safeguards by Government; and

(b) the number of cases where the Commission has initiated action so far under its power of Civil Courts?